राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 983/2024

सुमन देवी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुंझुंनू।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति झुंझुंनू, जिला झुंझुंनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत बुहाना, पंचायत समिति जिला झुंझुंनू में दिनांक 03.07.2013 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत कासिमपुरा, पंचायत समिति झुंझुंनू, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से ग्राम पंचायत भड़ौन्दा कलां, पंचायत समिति झुंझुंनू में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं बिना यात्रा भत्ता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 (8)(2) के उल्लंघन में जारी किया गया है, क्योंकि संबंधित प्रधान से परामर्श/सहमति नहीं ली गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14549/2022 इन्द्रा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक

अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत कासिमपुरा, पंचायत समिति झुंझुंनू, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से ग्राम पंचायत भड़ौन्दा कलां, पंचायत समिति झुंझुंनू में सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। यह स्थानान्तरण प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति झुंझुंनू की बैठक दिनांक 20.02.2024 के लिये गये निर्णय की पालना में जारी किया गया है। इस पर नियम 89 (8)(2) लागू नहीं होता है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2021 से पदस्थापित है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना अभिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है।

5. स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य